न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./77/2024

1. पांचू पुत्र जेठू जाति भांबी निवासी गोवलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. बाबूलाल पुत्र जेठू जाति भांबी निवासी गोवलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. रामस्वरूप पुत्र जेठू जाति भांबी निवासी गोवलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी(अविवाहित नाऔलाद फौत)

प्रार्थी

बनाम

1. गणपत पुत्र हरजी जाति भांबी निवासी गोवलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. मदन पुत्र छोगा जाति भांबी निवासी गोवलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. जेठी पत्नी भागचन्द जाति भांबी निवासी गोवलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. लालचन्द पुत्र भागचन्द जाति भांबी निवासी गोवलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. ओमप्रकाश दत्तक पुत्र उगमा जाति भांबी निवासी गोवलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. रतनलाल पुत्र रेवता जाति भांबी निवासी गोवलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–04.09.2024

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी–श्री शिवकुमार जोशी
2. वकील अप्रार्थी– श्री धर्मवीर बामनियां
3 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा गोवलियां पटवार क्षेत्र खेड़ी भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 151 में दर्ज खसरा नं. 86 रकबा 0.34 खसरा नम्बर 88 रकबा 0.56, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.08, खसरा नं0 94 रकबा 0.26, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.03 कुल किता 05 कुल रकबा 1.27 हैक्ट** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 06 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 07 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 द्वारा पत्रावली में उपस्थित होकर, पत्थरगढ़ी बाबत् अपनी अनापत्ति प्रकट की तथा पत्रावली आदेशिका पर टिप्पणी अंकित की। अधिवक्ता श्री धर्मवीर बामनिया द्वारा प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 05 व 06 की ओर से वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब सरकार पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी

किया हैं। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना–पत्र के अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र को खारिज करने बाबत् निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील प्रार्थी द्वारा आगे निवेदन किया गया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजीयात में तीन खातेदार दर्ज है, जिसमें से एक प्रार्थी खातेदार रामस्वरूप पुत्र जेठू अविवाहित नाऔलाद फौत हो गया है, जिसे विधिक वारिसान प्रार्थी श्री पांचू व बाबूलाल पुत्र जेठू ही है। इस बाबत् वकील प्रार्थी द्वारा एक शपत पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसकी एक प्रार्थी वकील अप्रार्थी को दिलवायी जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम गोवलियां के खाता संख्या 151 संवत 2073–2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, शपत–पत्र के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा गोवलियां पटवार क्षेत्र खेड़ी भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 151 में दर्ज खसरा नं. 86 रकबा 0.34 खसरा नम्बर 88 रकबा 0.56, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.08, खसरा नं0 94 रकबा 0.26, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.03 कुल किता 05 कुल रकबा 1.27 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते